



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

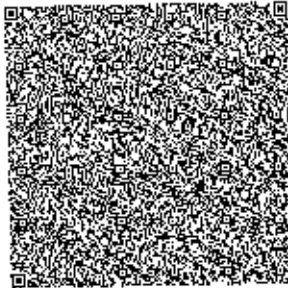


Ranjit Shrivastava
Branch Manager

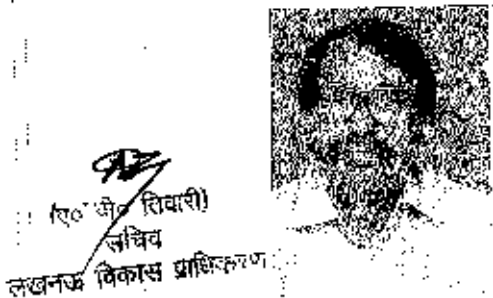
Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No. : IN-UP00109004727519L
Certificate Issued Date : 29-Jul-2013 05:10 PM
Account Reference : SHCIL (FI)/ upshell01/ LUCKNOW/ UP-LKN
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUPSHCIL0100111186739164L
Purchased by : ANSAL PROPERTIES AND INFRASTRUCTURE LIMITED
Description of Document : Article 35 Lease
Property Description : LAND SITUATED AT VILL HARIHARPUR HASANPUR KHEWALI M N GHUSWAL DEVAMAU N MAHJIGAWAN YUSUF NAGAR LKO
Consideration Price (Rs.) : 26,07,50,043
(Twenty Six Crore Seven Lakh Fifty Thousand And Forty Three only)
First Party : LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY
Second Party : ANSAL PROPERTIES AND INFRASTRUCTURE LIMITED
Stamp Duty Paid By : ANSAL PROPERTIES AND INFRASTRUCTURE LIMITED
Stamp Duty Amount(Rs.) : 2,33,75,000
(Two Crore Thirty Three Lakh Seventy Five Thousand only)



Please write or type below this line



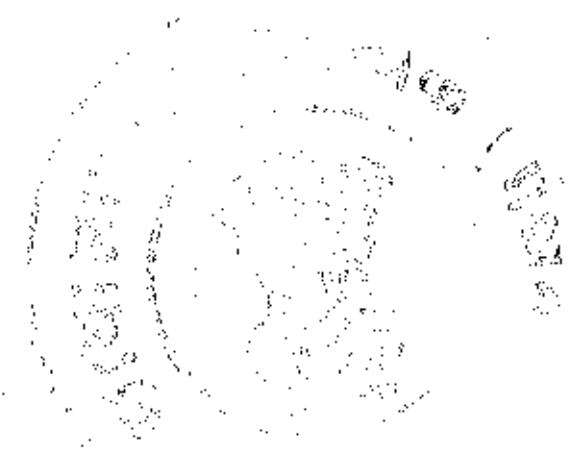
0000000197

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at 'www.shcilupnp.com'. Any discrepancy in the details on the Certificate shall be available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the authenticity is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

100

100



मालियत	—	33,38,80,000 /—
स्टाम्प	—	2,33,75,000 /—
परगना	—	बिजनौर

पट्टा- विलेख

यह पट्टा सन् 2013 के जुलाई माह के 30³⁰ वें दिन श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश (जिनको यहां आगे चलकर "पट्टादाता" कहा गया है) प्रथम पक्ष।

तथा

मेसर्स अंसल प्रॉपर्टीज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० जो कम्पनी एक्ट, 1956 के अधीन एक पंजीकृत कम्पनी है एवं जिसका पंजीकृत कार्यालय : 115, अंसल भवन 16, कस्तूरबा गॉंधी मार्ग, नई दिल्ली - 110001 के जरिये अधिकृत हस्ताक्षरी श्री सुशील कुमार सक्सेना पुत्र श्री शिवगोपाल सक्सेना निवासी फर्स्ट फ्लोर, वाई०एम०सी०ए० बिल्डिंग, 13, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ (जिनको आगे चलकर "पट्टेदार" कहा गया है) द्वितीय पक्ष के मध्य लिखा गया है।

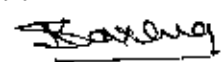
1. चूंकि पट्टेदार एक आवास निर्माण कम्पनी है जिसका उद्देश्य धर्म, जाति, वर्ग, भाषा, सम्प्रदाय आदि का भेद-भाव किये बिना सभी के लिये आवास निर्माण कर विक्रय किये जाने का है, जिसके निर्माण हेतु भूमि की व्यवस्था करना है।

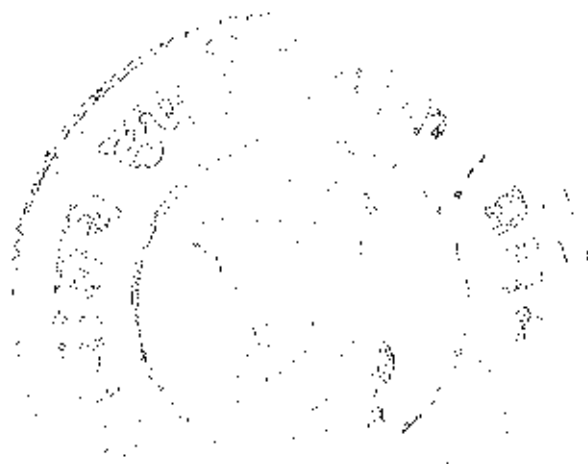
और चूंकि हाईटेक टाउनशिप नीति विषयक शासनादेश 6087/9-आ-1-2003-34वि०/03 दिनांक 22.11.2003 द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए भूमि अर्जन एवं विकास हेतु नीति (जिसे एतदपश्चात् उक्त नीति कहा गया है) निर्गत की गयी है।

और चूंकि पट्टादाता ने पट्टेदार के अनुरोध पर उक्त नीति के अनुसरण में इस विलेख की अनुसूची में वर्णित ग्राम-देवामऊ परगना-बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्थित 2.647 (दो दशमलव छः चार सात) हेक्टेयर व ग्राम-युसुफनगर बगियामऊ परगना-बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्थित 13.906 (तेरह दशमलव नौ शून्य छः) हेक्टेयर व ग्राम-निजामपुर मझिगांवा परगना-बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्थित 9.218 (नौ दशमलव दो एक आठ) हेक्टेयर व ग्राम-मुजफ्फरनगर घुसवल परगना-बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्थित 27.805 (सत्ताईस दशमलव आठ शून्य पांच) हेक्टेयर व ग्राम-हसनपुर खेवली परगना-बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्थित 9.350 (नौ दशमलव तीन पांच शून्य) हेक्टेयर व ग्राम-हरिहरपुर परगना-बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्थित 5.479 (पांच दशमलव चार सात नौ) हेक्टेयर इस प्रकार कुल मिलाकर 68.405 (अड़सठ दशमलव चार शून्य पांच) हेक्टेयर, ग्राम समाज की भूमि को, राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1345/एक-1/2010-5-1(48)/2006-163 दिनांक 12.07.2010, 1346/एक-1/2010-5-1(48)/2006-163 दिनांक 12.07.2010, 1340/एक-1/2010-5-1(48)/2006-163 दिनांक 12.07.2010, 1347/एक-1/2010-5-1(48)/2006-163 दिनांक 12.07.2010, 1344/एक-1/2010-5-1(48)/2006-163 दिनांक 12.07.2010 एवं 1343/एक-1/2010-5-1(48)/2006-163 दिनांक 12.07.2010 के अधीन उक्त भूमि को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1, सन् 1951) की धारा-117 की उपधारा (6) के अन्तर्गत, पुनर्गृहीत कर लिया गया है और जो सभी प्रकार के भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो गयी है।


(१०/१० तिथारी)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

For the Proprietor & Infrastructure Co


Authorized Signatory



अतः शासनादेश सख्या-प्र०स० 474/एक-1-2008-5-1(48)/2008-78 दिनांक 19.12.2008 द्वारा पट्टेदार के नाम के आगे अभिव्यक्त अधिकारों निर्बन्धनों एवं विभिन्न प्रसविदाओं तथा अनुबन्धों के अधीन उक्त नीति के अनुसार हाईटेक टाउनशिप के विकास के प्रयोजन (जिसे एतदप्रश्चात "निर्धारित प्रयोजन" कहा गया है) से पट्टेदार को हस्तान्तरित करने के लिये पट्टादाता सहमत हुये है।

3. अतः उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथासंशोधित गवर्नमेंट ग्रान्ट्स एक्ट, 1895 (सन् 1895 ई० का एक्ट संख्या-15) के अधीन निष्पादित यह विलेख साक्षी है कि नजराना रु०-26,02,37,002/- (छब्बीस करोड़ दो लाख सैंतीस हजार दो रुपये) मात्र व मालगुजारी का 150 गुना रु०-5,13,041/- (पांच लाख तेरह हजार इकतालीस रुपये) मात्र की धनराशि जो भारतीय स्टेट बैंक लखनऊ की मुख्य शाखा में क्रमशः चालान सं०-जी०-100065, जी०-100057, जी०-100058, जी०-100066, जी०-090047, जी०-100060, जी०-100052, जी०-100067, जी०-100059, जी०-100064, जी०-100056, जी०-100063, जी०-100055 क्रमशः दिनांक-11.10.10, 11.10.10, 11.10.10, 11.10.10, 22.09.12, 11.10.10, 11.10.10, 11.10.10, 11.10.10, 11.10.10, 11.10.10, 11.10.10 के माध्यम से विकासकर्ता/पट्टेदार द्वारा जमा कर दिया गया है, मात्र के प्रीमियम (जिसकी प्राप्ति पट्टादाता एतद्वारा स्वीकार करता है) तथा आगे आरक्षित वार्षिक किराया रु०-5,13,041/- (पांच लाख तेरह हजार इकतालीस रुपये) मात्र के प्रतिफल स्वरूप और पट्टेदार द्वारा की गयी प्रसंविदाओं को ध्यान में रखकर पट्टादाता एतद्वारा वह सब भूखण्ड, जिनका विवरण इसकी अनुसूची में में दिया है और जो स्पष्टीकरण के लिए इस विलेख से संलग्न रेखाचित्र में लाल रंग से रंग दिया गया है (जिसे आगे उक्त "भूमि" कहा जायेगा), पट्टेदार को सन् 2013 ई० के जुलाई माह के 30...वें दिन से 30 (तीस) वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर निम्न शर्तों पर हस्तांतरित करते हैं। इस आधिपत्य के उपलक्ष्य में उक्त अवधि के लिये पट्टेदार समस्त कटौतियों को छोड़कर रु०-5,13,041/- (पांच लाख तेरह हजार इकतालीस रुपये) मात्र का वार्षिक किराया प्रत्येक वर्ष के अंग्रेजी माह जुलाई के पहले सप्ताह में कलेक्टर-लखनऊ के कार्यालय में या पट्टादाता द्वारा समय-समय पर निश्चित स्थान पर या स्थानों पर भुगतान करेगा।

और पट्टादाता से पट्टेदार निम्न प्रसंविदा करता है :-

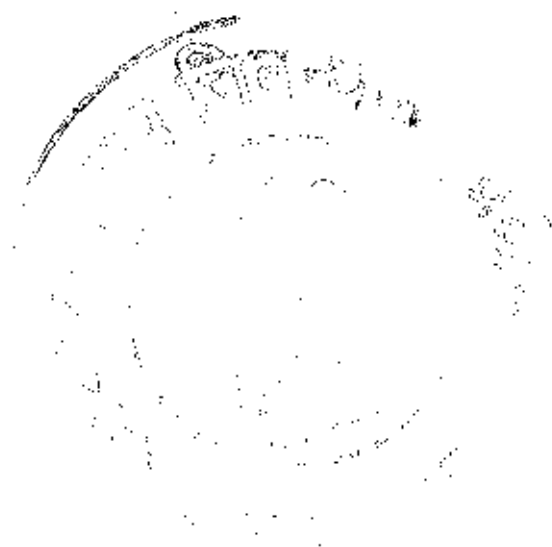
1. यह कि पट्टेदार द्वारा प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल निर्धारित प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा, जिसके लिए भूमि दी जा रही है।
2. यह कि पट्टेदार द्वारा निर्धारित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग किये जाने पर भूमि का पट्टा शासन/प्राधिकरण द्वारा निरस्त कर भूमि को राज्य सरकार में निहित करने का अधिकार पट्टादाता को होगा।
3. यह कि पट्टेदार को प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता न होने पर वह उसे शासन/प्राधिकरण को वापस कर देगा।
4. यह कि पट्टेदार द्वारा उक्त भूमि का उपयोग निर्धारित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु किये जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा उक्त भूमि का कब्जा ले लिये जाने अथवा पट्टेदार को भूमि की आवश्यकता न होने पर उसे राज्य सरकार को समर्पित किये जाने की स्थिति में पट्टेदार को उक्त भूमि पर निर्मित किसी भवन अथवा अन्य निर्माण की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होगा।
5. यह कि पट्टेदार को पट्टे की भूमि बिना कब्जे के राष्ट्रीयकृत बैंक, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने हेतु उनके पक्ष में बन्धक रखने का अधिकार होगा। शर्त यह होगी कि पट्टेदार द्वारा शासन को बाजार दर पर पट्टे की भूमि का मूल्य अदा कर दिया गया है।
6. यह कि उक्त भूमि का उपयोग 03 (तीन) वर्ष में निर्धारित प्रयोजन हेतु न किये जाने की स्थिति में पट्टादाता द्वारा पट्टेदार को सुनवाई का अवसर देकर पट्टा निरस्त कर दिया जायेगा।
7. प्रश्नगत भूमि 30 (तीस) वर्षों के लिए पट्टे पर दी जायेगी। पट्टेदार द्वारा पट्टे की शर्त का पालन किये जाने की दशा में पट्टेदार के अनुरोध पर प्रत्येक 30 वर्ष के बाद 30-30 वर्ष के पट्टे का नवीनीकरण किया जा सकेगा लेकिन पट्टे की समेकित अवधि 90 वर्ष से ज्यादा नहीं होगी।

(एडिटर विवरी)
सचिव
लखनऊ विभागा प्रधिकरण

Journal of Management Inquiry 16(3) 299-310

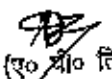
Boysong

Abstract

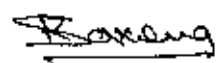


8. यह कि पट्टेदार ने वार्षिक किराया रू0-5,13,041/- (पांच लाख तेरह हजार इकतालीस रुपये) मात्र की दर से रू0-5,13,041/- (पांच लाख तेरह हजार इकतालीस रुपये) की धनराशि पट्टा विलेख के निष्पादन के पूर्व अर्थात् क्रमशः दिनांक-11.10.10, 11.10.10, 22.09.12, 11.10.10, 11.10.10, 11.10.10, 11.10.10, को क्रमशः चालान संख्या-जी0-100057, जी0-100058, जी0-090047, जी0-100052, जी0-100059, जी0-100056, जी0-100055 द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, बैंक, राजकीय व्यावसायिक शाखा, लखनऊ में जमा कर दिया है और पट्टेदार पट्टा के दौरान प्रतिवर्ष माह जुलाई के प्रथम सप्ताह में या पहले वार्षिक किराया जमा करता रहेगा।
9. यह कि पट्टेदार उक्त वार्षिक किराया अग्रिम के रूप में प्रतिवर्ष जमा करेगा।
10. यह कि पट्टेदार द्वारा वार्षिक किराया समय से न जमा करने अथवा उपरिवर्णित शर्तों में किसी को भंग किये जाने की स्थिति में पट्टादाता द्वारा पट्टेदार को सुनवाई का अवसर देकर पट्टा निरस्त कर दिया जायेगा और उक्त भूमि का कब्जा राज्य सरकार/प्राधिकरण द्वारा ले लिया जायेगा तथा पट्टेदार द्वारा किसी प्रतिकर की मांग नहीं की जायेगी।
11. यह कि पट्टेदार ऐसी प्रत्येक प्रकार की दरों, करों, परिव्ययों तथा निर्धारणों का भुगतान करेगा जो उक्त भूमि या उस पर निर्मित या निर्माण किये जाने वाले भवन अथवा उसके स्वामी या किरायेदार पर उस समय अथवा उसके पश्चात् किसी समय अवधारित, भारित, आरोपित किये जायें।
12. यह कि पट्टादाता की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना उक्त भूमि पर खड़े वृक्ष/वृक्षों को पट्टेदार द्वारा काटा नहीं जायेगा और न दूसरे को काटने दिया जायेगा।
13. यह कि उक्त भूमि विधि के प्रवर्तनवश या किसी अन्य कारण से यहां दी गयी अवधि में हस्तान्तरित हो, पट्टेदार उक्त हस्तान्तरण के दिनांक से एक पंचांग भास के भीतर उक्त हस्तान्तरण की सूचना जिलाधिकारी लखनऊ को देगा, जिसमें ऐसे प्रत्येक अभिहस्तांकन के पक्षों के नाम और पूरे ब्योरे होंगे तथा उसका पूरा विवरण और उससे प्रभावित होने वाली सम्पत्ति का विवरण होगा और साथ में प्रत्येक अभिहस्तांकन पत्र, डिक्री या आदेश, प्रमाणपत्र या अन्य लेख जिसका प्रभाव उस हस्तान्तरण पर पड़ता हो देगा और उस सूचना के साथ उक्त लेख जिलाधिकारी लखनऊ के कार्यालय में कम से कम 07 (सात) दिन रहेंगे तथा एतद्द्वारा यह प्रसंविदा की जाती है कि इस शर्त का पालन न किये जाने पर पट्टेदार पर दण्ड स्वरूप रुपये, जैसा कि तत्कालीन समय पर राक्षस अधिकारी/पट्टादाता की ओर से नियत किया जावे मात्र का भुगतान करने का दायित्व होगा।
14. यह कि इस विलेख की अवधि समाप्त होने अथवा उसके पहले ही समाप्त कर दिये जाने पर पट्टेदार उक्त भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि को हटाकर भूमि पट्टादाता को बिल्कुल सही अवस्था में दे देगा।
15. पट्टा निष्पादन का व्यय भार संस्था/पट्टेदार द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। पट्टा निष्पादन के पश्चात् भूमि का कब्जा संस्था को प्रदान किया जायेगा।
16. प्रश्नगत भूमि के हस्तान्तरण एवं निष्पादित होने वाले पट्टा विलेख की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई मतभेद/विवाद उत्पन्न होगा तो उस पर प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
17. उक्त भूमि पर या उसके नीचे पाये गये खान एवं खनिजों पर पट्टादाता का अधिकार होगा।

किन्तु सदा, प्रतिबन्ध है कि विलेख इस शर्त पर निष्पादित किया जाता है कि अगर जब कभी उपर्युक्त किराये अथवा किसी निश्चित भाग को निश्चित तिथि के पश्चात् एक माह तक भुगतान न होगा चाहे वह विधितः मांगा गया हो या न मांगा गया हो अथवा यदि पट्टे में वर्णित प्रसंविदाओं में से किसी एक को अथवा अधिक को पट्टेदार भंग करेगा अथवा उसका पालन न करेगा तब और ऐसी किसी दशा में पट्टादाता ने भले ही अपने पुनः प्रवेश करने के अधिकार को छोड़ दिया हो, उक्त भूमि में पुनः प्रवेश कर सकता है और पट्टेदार तथा उसके समस्त अध्यासियों को वहां से निकाल सकता है और तब यह हस्तान्तरण बिल्कुल निरस्त हो जायेगा तथा उक्त भूमि पर निर्मित भवनों को हटाने अथवा उसके संबंध में प्रतिकर पाने के पट्टेदार के समस्त अधिकार अपहृत हो जायेंगे।


(र० जी० त्रिपाठी)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

For Andar Provisions & Infrastructure : 4


Authorized Signatory



यह कि प्रतिबन्ध है कि ऊपर जो कुछ अंकित है उसके अतिरिक्त पट्टादाता को यह अधिकार होगा कि वह उस विलेख के अधीन देय समस्त धनराशि प्रमुख सचिव/सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन के प्रमाणपत्र पर जो अन्तिम निश्चायक और पट्टेदार पर बाध्यकारी होगा, पट्टेदार से भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल कर लें।

यह भी प्रतिबन्ध होगा कि यदि हस्तान्तरित उक्त भूमि की पट्टेदाता को किसी भी समय अपने कार्य के लिए आवश्यकता होगी तो उसको यह अधिकार होगा कि वह पट्टेदार को उक्त भूमि पर उस समय खड़े किसी भवन को हटाने की एक माह की नोटिस दे और यह भी कि उक्त नोटिस के पट्टेदार द्वारा प्राप्त होने की तिथि के पश्चात उक्त अवधि के समाप्त होने पर दो माह के भीतर उक्त भूमि पर अपना आधिपत्य प्राप्त कर ले किन्तु शर्त यह है कि यदि पट्टादाता उक्त भूमि पर पट्टेदार द्वारा बनाये गये किसी भवन को क़य करना चाहे तो पट्टेदार को उस भवन के बदले में ऐसी धनराशि का भुगतान कर दिया जायेगा जो राज्य सरकार के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा अवधारित की जाये।

और पट्टादाता, पट्टेदार से प्रसंविदा करता है कि यदि पट्टेदार ने इस विलेख की किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है तो पट्टादाता पट्टेदार की प्रार्थना पर और उसके व्यय से इस पट्टे की उक्त अवधि के समाप्त होने पर और उसके पश्चात समय-समय पर प्रत्येक ऐसी अवधि के समाप्त होने पर जो स्वीकार की जाये, पट्टेदार के नाम उक्त भूमि का नया पट्टा नवीनीकरण के रूप में 30 (तीस) वर्षों की अवधि के लिये निष्पादित करेगा। परन्तु यह प्रतिबन्ध सदा ही रहेगा कि इस प्रकार नवीकृत अवधियाँ इस पट्टे की मूल अवधि सहित कुल मिलाकर 90 (नब्बे) वर्ष से अधिक न हो और पट्टादाता कोई ऐसे नवीनीकरण स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं होगा, सिवाय इसके कि वह ऐसी किराये की दर पर हो जो उक्त भूमि के सम्बन्ध में उस समय दिया जा रहा है अथवा यदि वह पसन्द करे तो ऐसी बढ़ाई हुई दर पर हो जो उस किराये के 50 (पचास) प्रतिशत से अधिक न हो जो कि नवीनीकरण के ठीक पहले देय था और सिवाय उस किराये की धनराशि जो तदनुसार निर्धारित की जाये और उस अवधि के जो स्वीकार की जाये उक्त भूमि के प्रत्येक नवीकृत पट्टे में इस विलेख को केवल उन्ही प्रसंविदाओं, उपबन्धों एवं प्रतिबन्धों का समावेश होगा जो उस समय लागू होंगे।

किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि पट्टेदार उपर्युक्त अवधि में ऐसे सब कर, दर तथा अन्य परिव्ययों का भुगतान करेगा जो हस्तान्तरित उक्त भूमि के संबंध में पट्टादाता अथवा पट्टेदार द्वारा इस समय देय है अथवा भविष्य में देय होगा।

और इस विलेख के दोनों पक्ष अग्रेतर करार करते हैं कि :-

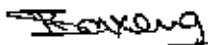
- (क) उक्त भूमि को पट्टे पर देने हेतु पट्टा विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन पर होने वाले व्यय का वहन पट्टेदार द्वारा किया जायेगा।
- (ख) उक्त भूमि के हस्तान्तरण एवं निष्पादित होने वाले पट्टा विलेख की शर्तों के संबंध में यदि कोई मतभेद/विवाद उत्पन्न होगा तो उस पर प्रमुख सचिव/सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
- (ग) उक्त भूमि पर या उसके नीचे पाये गये खान एवं खनिजों पर पट्टादाता का अधिकार रहेगा।
- (घ) पट्टा निष्पादन के पश्चात भूमि का कब्जा पट्टेदार को प्रदान किया जायेगा।

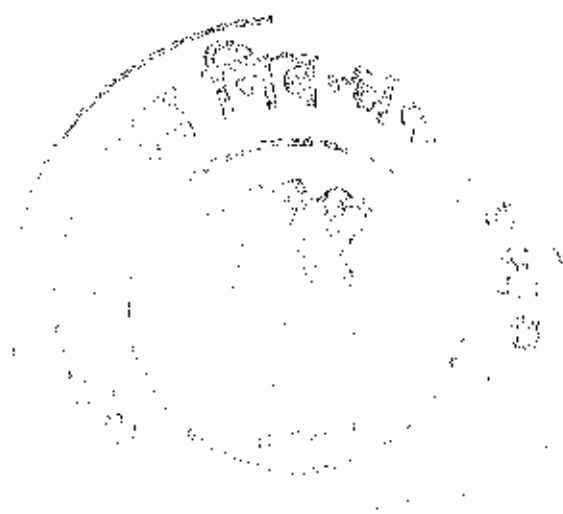
4. भूमि का विवरण निम्नवत है:-

क्रम सं०	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा/गाटा सं०	क्षेत्रफल हेक्टेयर	विवरण/प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	लखनऊ	लखनऊ	बिजनौर	देवामऊ	7	0.018	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के निवर्तन पर रखते हुए लखनऊ विद्युत


(१० पी०/तिवारी)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

For Ansari Prepared & Submitted to

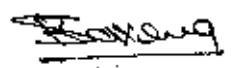

Anshu



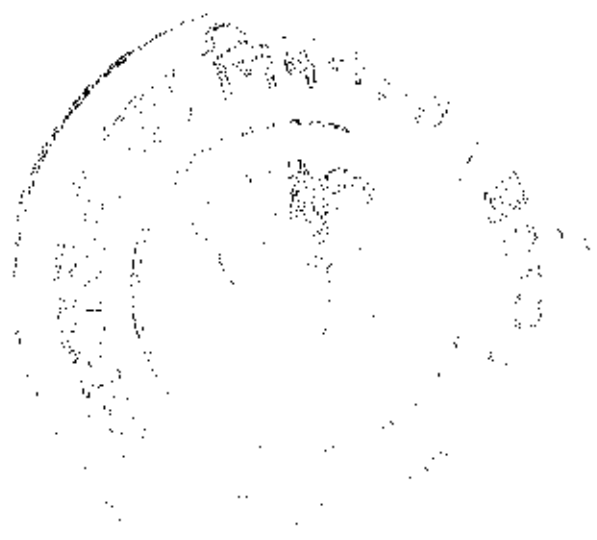
							प्राधिकरण द्वारा हाईटेक टाउनशिप हेतु।
2					11	0.464	
3					17	0.403	
4					21	0.018	
5					25	0.014	
6					40	0.020	
7					45	0.069	
8					49	0.010	
9					56	0.009	
10					61	0.015	
11					64	0.006	
12					68	0.012	
13					69	0.032	
14					71	0.013	
15					75	0.026	
16					76	0.011	
17					79	0.011	
18					83	0.010	
19					91	0.057	
20					91	0.057	
21					93	0.017	
22					105	0.183	
23					117	0.087	
24					118	0.013	
25					122	0.187	
26					24/246	0.885	
				कुल योग	28 गाटा	2.647	
1	लखनऊ	लखनऊ	बिजनौर	यूसुफनगर उर्फ भगियामऊ	46	2.296	अवारा एवं शहरी नियोजन विभाग के नियंत्रण पर रखते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा हाईटेक टाउनशिप हेतु।
2					75	0.039	उपरोक्तानुसार
3					79	0.008	उपरोक्तानुसार
4					85	0.030	उपरोक्तानुसार
5					88	0.044	उपरोक्तानुसार
6					93	0.005	उपरोक्तानुसार


 (ए० पी० दिवारी)
 सचिव
 लखनऊ विकास प्राधिकरण

1/11/2024
 11/11/2024

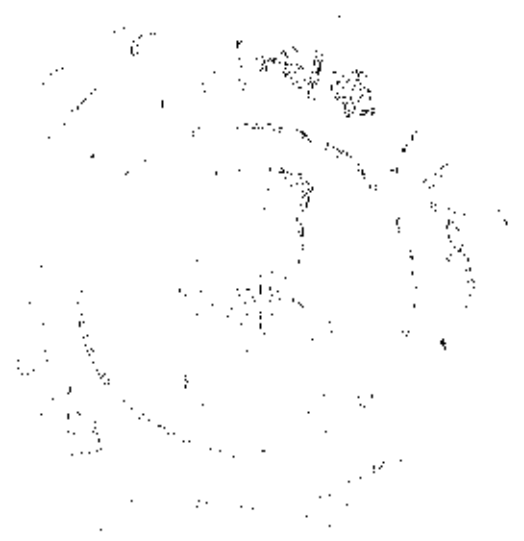

 अधिकारी, लखनऊ

100



7				96	0.038	અપરોક્તાનુસાર
8				101	0.266	અપરોક્તાનુસાર
9				108	0.033	અપરોક્તાનુસાર
10				116	0.038	અપરોક્તાનુસાર
11				121	0.126	અપરોક્તાનુસાર
12				122	0.014	અપરોક્તાનુસાર
13				126	0.163	અપરોક્તાનુસાર
14				129	0.017	અપરોક્તાનુસાર
15				130	0.040	અપરોક્તાનુસાર
16				135	0.063	અપરોક્તાનુસાર
17				139	0.014	અપરોક્તાનુસાર
18				141	0.041	અપરોક્તાનુસાર
19				151	0.512	અપરોક્તાનુસાર
20				158	0.076	અપરોક્તાનુસાર
21				158	0.019	અપરોક્તાનુસાર
22				159	0.218	અપરોક્તાનુસાર
23				162	0.126	અપરોક્તાનુસાર
24				163	0.076	અપરોક્તાનુસાર
25				164	0.039	અપરોક્તાનુસાર
26				167	0.031	અપરોક્તાનુસાર
27				171	0.190	અપરોક્તાનુસાર
28				176	0.008	અપરોક્તાનુસાર
29				182	0.099	અપરોક્તાનુસાર
30				189	0.126	અપરોક્તાનુસાર
31				192	0.023	અપરોક્તાનુસાર
32				215	0.013	અપરોક્તાનુસાર
33				218	0.231	અપરોક્તાનુસાર
34				221	0.027	અપરોક્તાનુસાર
35				224	0.155	અપરોક્તાનુસાર
37				241	0.075	અપરોક્તાનુસાર
38				242	0.215	અપરોક્તાનુસાર
39				243	0.066	અપરોક્તાનુસાર
40				244	0.139	અપરોક્તાનુસાર
41				250	0.063	અપરોક્તાનુસાર
42				252	0.051	અપરોક્તાનુસાર

4

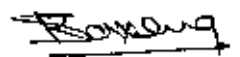


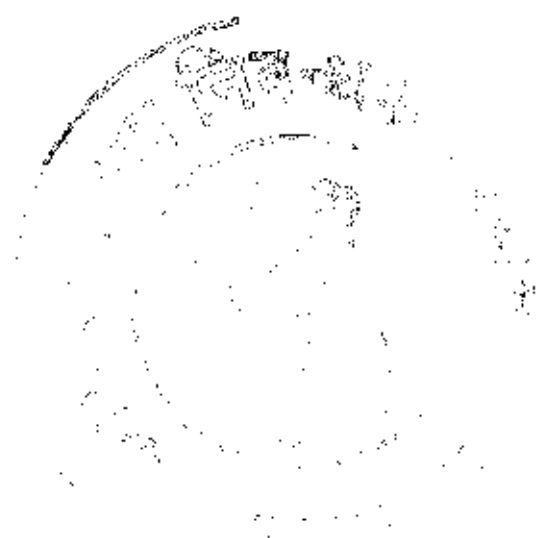
43				254	0.152	उपरोक्तानुसार
44				260 स	1.468	उपरोक्तानुसार
45				281	0.051	उपरोक्तानुसार
46				275	0.025	उपरोक्तानुसार
47				282	0.028	उपरोक्तानुसार
48				280	0.006	उपरोक्तानुसार
49				288	0.013	उपरोक्तानुसार
50				290	0.033	उपरोक्तानुसार
51				297	0.304	उपरोक्तानुसार
52				299	0.114	उपरोक्तानुसार
53				300	0.076	उपरोक्तानुसार
54				300	0.303	उपरोक्तानुसार
55				303	0.253	उपरोक्तानुसार
56				316	0.366	उपरोक्तानुसार
57				325	0.025	उपरोक्तानुसार
58				326	0.940	उपरोक्तानुसार
59				335	0.019	उपरोक्तानुसार
60				337	0.017	उपरोक्तानुसार
61				342	0.190	उपरोक्तानुसार
62				347	0.051	उपरोक्तानुसार
63				360	1.000	
64				361	0.266	उपरोक्तानुसार
65				364	0.017	उपरोक्तानुसार
66				365 स	0.053	उपरोक्तानुसार
67				365 स	0.035	उपरोक्तानुसार
68				367	0.126	उपरोक्तानुसार
69				369	0.040	उपरोक्तानुसार
70				370	0.048	उपरोक्तानुसार
71				372	0.405	उपरोक्तानुसार
72				373	0.536	उपरोक्तानुसार
73				374	0.242	उपरोक्तानुसार
74				379	0.062	उपरोक्तानुसार
75				382	0.784	उपरोक्तानुसार
76				168 / 387	0.005	उपरोक्तानुसार
			कुल योग	76 गाटा	13.906	

प्रमाणित

 प्रमाणित

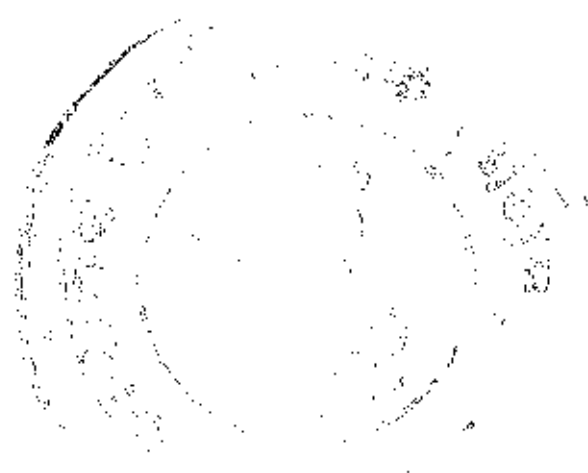
For Assets, Properties & Infrastructure


 Authorized Signature

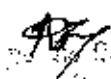


1	लखनऊ	लखनऊ	बिजनौर	निजामपुर मझिगवा	3	0.065	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नियंत्रण पर रखते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा हाईटेक टाउनशिप हेतु।
2					7	0.017	उपरोक्तानुसार
3					11	0.024	उपरोक्तानुसार
4					14	0.079	उपरोक्तानुसार
5					20	0.102	उपरोक्तानुसार
6					25	0.017	उपरोक्तानुसार
7					28	0.012	उपरोक्तानुसार
8					32	0.022	उपरोक्तानुसार
9					34	0.051	उपरोक्तानुसार
10					35	0.089	उपरोक्तानुसार
11					36	0.266	उपरोक्तानुसार
12					40	0.029	उपरोक्तानुसार
13					44	0.022	उपरोक्तानुसार
14					45	0.047	उपरोक्तानुसार
15					48	0.017	उपरोक्तानुसार
16					53	0.017	उपरोक्तानुसार
17					56	0.172	उपरोक्तानुसार
18					64	0.177	उपरोक्तानुसार
19					65	0.082	उपरोक्तानुसार
20					69	0.073	उपरोक्तानुसार
21					77	0.023	उपरोक्तानुसार
22					79	0.008	उपरोक्तानुसार
23					84	0.658	उपरोक्तानुसार
24					91	0.022	उपरोक्तानुसार
25					92	0.025	उपरोक्तानुसार
26					93	0.028	उपरोक्तानुसार
27					96	0.013	उपरोक्तानुसार
28					99	0.079	उपरोक्तानुसार
29					101	0.014	उपरोक्तानुसार
30					103	0.253	उपरोक्तानुसार
31					106	0.027	उपरोक्तानुसार
32					109	0.013	उपरोक्तानुसार
33					110	0.936	उपरोक्तानुसार

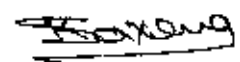
12



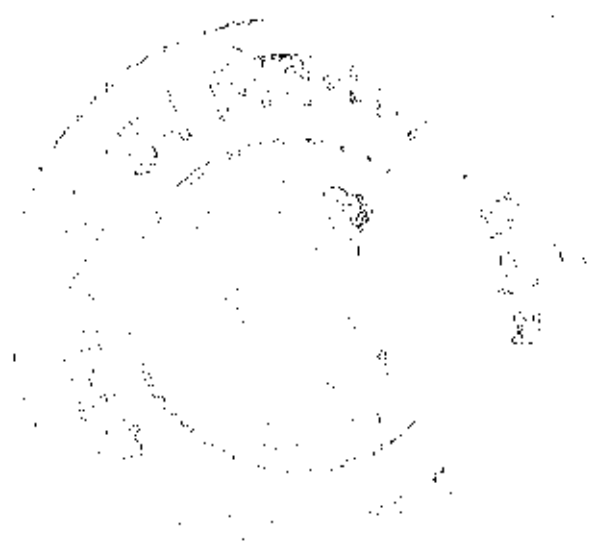
34				112	0.174	उपरोक्तानुसार
35				117	0.023	उपरोक्तानुसार
36				118	0.923	उपरोक्तानुसार
37				120	0.253	उपरोक्तानुसार
38				123 पी	0.588	उपरोक्तानुसार
39				132	0.089	उपरोक्तानुसार
40				135	0.023	उपरोक्तानुसार
41				138	0.190	उपरोक्तानुसार
42				142	0.008	उपरोक्तानुसार
43				146	0.011	उपरोक्तानुसार
44				150 पी	0.076	उपरोक्तानुसार
45				150 पी	0.057	उपरोक्तानुसार
46				157	0.042	उपरोक्तानुसार
47				163	0.020	उपरोक्तानुसार
48				166	0.029	उपरोक्तानुसार
49				169	0.011	उपरोक्तानुसार
50				173	0.040	उपरोक्तानुसार
51				176	0.304	उपरोक्तानुसार
52				183	0.392	उपरोक्तानुसार
53				184	1.049	उपरोक्तानुसार
54				188	0.023	उपरोक्तानुसार
55				191	0.017	उपरोक्तानुसार
56				193	0.102	उपरोक्तानुसार
57				202	0.043	उपरोक्तानुसार
58				223	0.354	उपरोक्तानुसार
59				231	0.010	उपरोक्तानुसार
60				235	0.095	उपरोक्तानुसार
61				252	0.019	उपरोक्तानुसार
62				255	0.102	उपरोक्तानुसार
63				262	0.063	उपरोक्तानुसार
64				264	0.114	उपरोक्तानुसार
65				271	0.072	उपरोक्तानुसार
66				274	0.022	उपरोक्तानुसार
67				275	0.076	उपरोक्तानुसार
68				278	0.042	उपरोक्तानुसार


 सचिव
 सार्वजनिक प्रशासन

Chief Engineer / Topographic & Infrastructure Unit

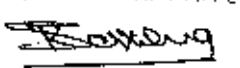

 Authorized Signatory

1875

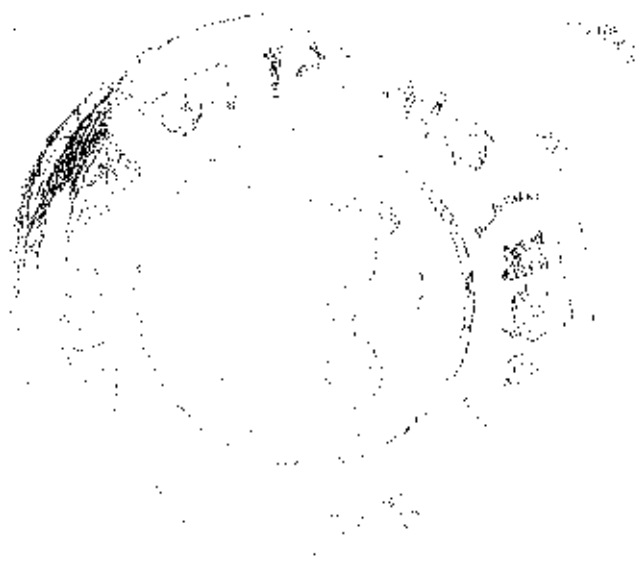


69					292	0.053	उपरोक्तानुसार
70					298	0.063	उपरोक्तानुसार
71					301	0.020	उपरोक्तानुसार
72					306	0.081	उपरोक्तानुसार
73					213 / 496	0.016	उपरोक्तानुसार
				कुल योग	73 गाटा	9.218	
1	लखनऊ	लखनऊ	बिजनौर	मुजफ्फर नगर मुख्यालय	5	0.002	आवासी एवं शहरी नियोजन विभाग के निर्वातन पर सबसे हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा हाईटेक टाउनशिप है।
2					9	3.642	उपरोक्तानुसार
3					12 स	0.114	उपरोक्तानुसार
4					14	0.190	उपरोक्तानुसार
5					15	0.506	उपरोक्तानुसार
6					23	0.023	उपरोक्तानुसार
7					29	0.025	उपरोक्तानुसार
8					42	0.012	उपरोक्तानुसार
9					43	0.036	उपरोक्तानुसार
10					47	0.036	उपरोक्तानुसार
11					54 स	0.074	उपरोक्तानुसार
12					54 स	0.006	उपरोक्तानुसार
13					58 रा	0.696	उपरोक्तानुसार
14					59	0.822	उपरोक्तानुसार
15					60	0.645	उपरोक्तानुसार
16					67	0.008	उपरोक्तानुसार
17					72	0.003	उपरोक्तानुसार
18					77	0.126	उपरोक्तानुसार
19					82	0.051	उपरोक्तानुसार
20					88	0.063	उपरोक्तानुसार
21					93	0.102	उपरोक्तानुसार
22					110	0.036	उपरोक्तानुसार
23					111	0.079	उपरोक्तानुसार
24					119	0.021	उपरोक्तानुसार
25					122	0.011	उपरोक्तानुसार
26					126	0.077	उपरोक्तानुसार
27					129	0.036	उपरोक्तानुसार


 (S. P. Singh)
 सचिव
 लखनऊ विकास प्राधिकरण


 सचिव

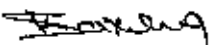
100

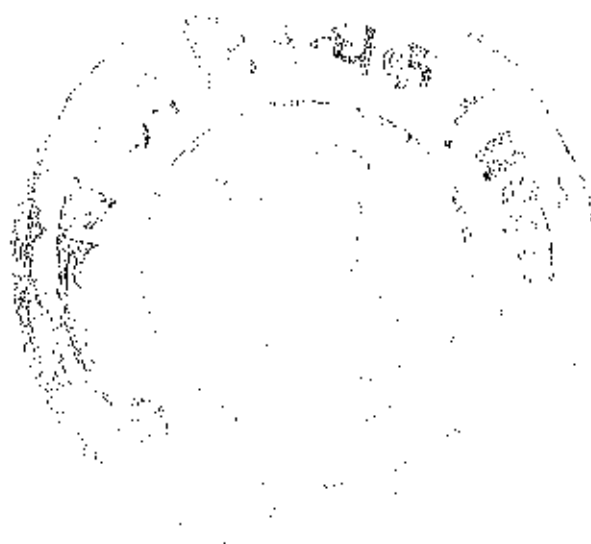


28				148	0.042	અપરોક્તાનુસાર
29				152	0.051	અપરોક્તાનુસાર
30				153	0.143	અપરોક્તાનુસાર
31				158	0.017	અપરોક્તાનુસાર
32				162	0.052	અપરોક્તાનુસાર
33				163	0.025	અપરોક્તાનુસાર
34				167	0.029	અપરોક્તાનુસાર
35				168	0.031	અપરોક્તાનુસાર
36				174	0.008	અપરોક્તાનુસાર
37				179	0.164	અપરોક્તાનુસાર
38				180 સ	0.063	અપરોક્તાનુસાર
39				182	0.164	અપરોક્તાનુસાર
40				191	0.033	અપરોક્તાનુસાર
41				196	0.017	અપરોક્તાનુસાર
42				201	0.010	અપરોક્તાનુસાર
43				203	0.063	અપરોક્તાનુસાર
44				207	0.079	અપરોક્તાનુસાર
45				209	0.022	અપરોક્તાનુસાર
46				211	0.038	અપરોક્તાનુસાર
47				218 સ	0.607	અપરોક્તાનુસાર
48				230	0.607	અપરોક્તાનુસાર
49				231 સ	0.253	અપરોક્તાનુસાર
50				241	0.281	અપરોક્તાનુસાર
51				243	0.032	અપરોક્તાનુસાર
52				256	0.022	અપરોક્તાનુસાર
53				258	0.077	અપરોક્તાનુસાર
54				259	0.004	અપરોક્તાનુસાર
55				270	0.059	અપરોક્તાનુસાર
56				272	0.031	અપરોક્તાનુસાર
57				276	0.139	અપરોક્તાનુસાર
58				277	0.026	અપરોક્તાનુસાર
59				279	0.076	અપરોક્તાનુસાર
60				288	0.038	અપરોક્તાનુસાર
61				290	0.063	અપરોક્તાનુસાર
62				306	1.085	અપરોક્તાનુસાર


 (સહી કરેલ) એન્જીનિયર
 મહાનગર પાલિકાના અધિકારી

For Kutch Properties & Infrastructure Ltd


 Authorized Signatory

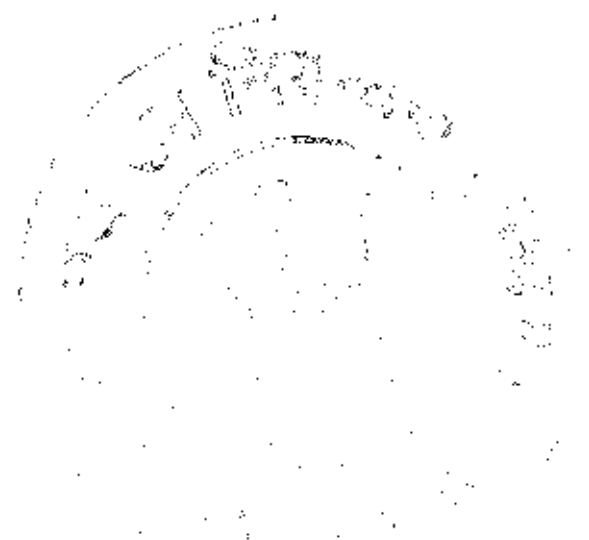


63				308 स	1.426	उपरोक्तानुसार
64				310 स	0.964	उपरोक्तानुसार
65				310 स	0.200	उपरोक्तानुसार
66				319	0.002	उपरोक्तानुसार
67				323	0.014	उपरोक्तानुसार
68				324	0.078	उपरोक्तानुसार
69				332	0.007	उपरोक्तानुसार
70				340	0.006	उपरोक्तानुसार
71				341	0.022	उपरोक्तानुसार
72				348	0.012	उपरोक्तानुसार
73				349	0.006	उपरोक्तानुसार
74				354	0.004	उपरोक्तानुसार
75				358 स	0.579	उपरोक्तानुसार
76				365	0.038	उपरोक्तानुसार
77				366	0.025	उपरोक्तानुसार
78				371	0.016	उपरोक्तानुसार
79				382	0.012	उपरोक्तानुसार
80				384	0.006	उपरोक्तानुसार
81				386	0.042	उपरोक्तानुसार
82				395	0.010	उपरोक्तानुसार
83				416 स	2.339	उपरोक्तानुसार
84				417	4.552	उपरोक्तानुसार
85				444 स	0.022	उपरोक्तानुसार
86				444 स	0.029	उपरोक्तानुसार
87				446	0.016	उपरोक्तानुसार
88				448	0.010	उपरोक्तानुसार
89				451	0.013	उपरोक्तानुसार
90				453	0.020	उपरोक्तानुसार
91				456	0.582	उपरोक्तानुसार
92				463	0.016	उपरोक्तानुसार
93				467	0.025	उपरोक्तानुसार
94				477	0.013	उपरोक्तानुसार
95				478	0.019	उपरोक्तानुसार
96				479	0.013	उपरोक्तानुसार
97				482	0.013	उपरोक्तानुसार

(सं. १०० तिथरी)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

सहसंचालक (विद्युत व गैर विद्युत सेवाएँ)
लखनऊ विकास प्राधिकरण

100



98					484	0.033	उपरोक्तानुसार
99					490	0.023	उपरोक्तानुसार
100					482	0.020	उपरोक्तानुसार
101					499	0.347	उपरोक्तानुसार
102					507	0.033	उपरोक्तानुसार
103					511	0.051	उपरोक्तानुसार
104					517	0.038	उपरोक्तानुसार
105					518	0.018	उपरोक्तानुसार
106					523	0.017	उपरोक्तानुसार
107					527	0.035	उपरोक्तानुसार
108					528	0.036	उपरोक्तानुसार
109					538	0.027	उपरोक्तानुसार
110					540	0.004	उपरोक्तानुसार
111					541	0.026	उपरोक्तानुसार
112					545	0.916	उपरोक्तानुसार
113					548	0.076	उपरोक्तानुसार
114					551	0.010	उपरोक्तानुसार
115					554	0.013	उपरोक्तानुसार
116					557	0.038	उपरोक्तानुसार
117					559	0.430	उपरोक्तानुसार
118					561	0.092	उपरोक्तानुसार
119					562	0.089	उपरोक्तानुसार
120					564 स	0.114	उपरोक्तानुसार
121					582	0.063	उपरोक्तानुसार
122					582 स	0.063	उपरोक्तानुसार
123					584 स	0.253	उपरोक्तानुसार
124					589	0.104	उपरोक्तानुसार
125					590	0.040	उपरोक्तानुसार
126					597	0.025	उपरोक्तानुसार
127					602	1.417	उपरोक्तानुसार
128					606	0.304	उपरोक्तानुसार
129					502/611	0.006	उपरोक्तानुसार
				कुल योग	129 गाटा	27.805	
1	लखनऊ	लखनऊ	बिजनौर	हसनपुर खेवली	16	0.020	अवारा एवं शहरी नियोजन विभाग के निर्वातन पर रखते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा हाईटेक टाइगरशिप

(ए० पी० सिवारी)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

For Approval, Proposals & Infrastructure etc.

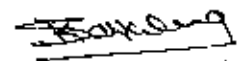
[Signature]
Authorized Signatory

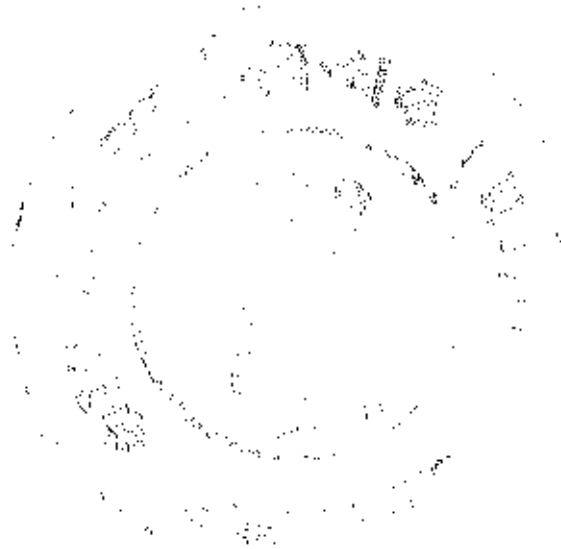


							हेतु ।
2					38 मी	0.050	उपरोक्तानुसार
3					50	0.035	उपरोक्तानुसार
4					52	0.925	उपरोक्तानुसार
5					87	0.316	उपरोक्तानुसार
6					88	0.443	उपरोक्तानुसार
7					89	0.139	उपरोक्तानुसार
8					91	0.392	उपरोक्तानुसार
9					92	0.038	उपरोक्तानुसार
10					93	0.557	उपरोक्तानुसार
11					98	0.253	उपरोक्तानुसार
12					100	0.114	उपरोक्तानुसार
13					102	0.032	उपरोक्तानुसार
14					111	0.052	उपरोक्तानुसार
15					118	0.032	उपरोक्तानुसार
16					124	0.139	उपरोक्तानुसार
17					125	0.152	उपरोक्तानुसार
18					136	0.021	उपरोक्तानुसार
19					141	0.025	उपरोक्तानुसार
20					144	0.582	उपरोक्तानुसार
21					146	0.493	उपरोक्तानुसार
22					149	0.021	उपरोक्तानुसार
23					152	0.017	उपरोक्तानुसार
24					198	0.487	उपरोक्तानुसार
25					201	0.029	उपरोक्तानुसार
26					203	0.013	उपरोक्तानुसार
27					208	0.253	उपरोक्तानुसार
28					212	0.559	उपरोक्तानुसार
29					213	0.200	उपरोक्तानुसार
30					240	0.607	उपरोक्तानुसार
31					241	0.126	उपरोक्तानुसार
32					242	0.139	उपरोक्तानुसार
33					248	0.038	उपरोक्तानुसार
34					251	0.025	उपरोक्तानुसार
35					254	0.177	उपरोक्तानुसार

(रि. प्र. वि. वि.)
सचिव
संयोजक विकास प्राधिकरण

इंजीनियरिंग, प्रशासनिक & आवासन विभाग


Engineered Signature



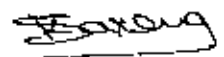
36					257	0.126	उपरोक्तानुसार
37					270	0.204	उपरोक्तानुसार
38					271	0.316	उपरोक्तानुसार
39					273 पी	0.748	उपरोक्तानुसार
40					274	0.455	उपरोक्तानुसार
				कुल योग	40 गाटा	9.350	
1	लखनऊ	लखनऊ	बिजनौर	हरिहरपुर	512	0.999	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नियर्जन पर रखते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा हाईटेक टाउनशिप हेतु।
2					513 पी	0.506	उपरोक्तानुसार
3					514	0.177	उपरोक्तानुसार
4					515	0.170	उपरोक्तानुसार
5					519	0.063	उपरोक्तानुसार
6					520	0.417	उपरोक्तानुसार
7					522 पी	0.108	उपरोक्तानुसार
8					523 पी	0.304	उपरोक्तानुसार
9					525	0.044	उपरोक्तानुसार
10					526	0.028	उपरोक्तानुसार
11					528	0.455	उपरोक्तानुसार
12					530	0.114	उपरोक्तानुसार
13					564	0.096	उपरोक्तानुसार
14					578	0.379	उपरोक्तानुसार
15					581	0.031	उपरोक्तानुसार
16					595 पी	0.253	उपरोक्तानुसार
17					599	0.089	उपरोक्तानुसार
18					611	0.246	उपरोक्तानुसार
19					618	1.000	उपरोक्तानुसार
				कुल योग	19 गाटा	5.479	

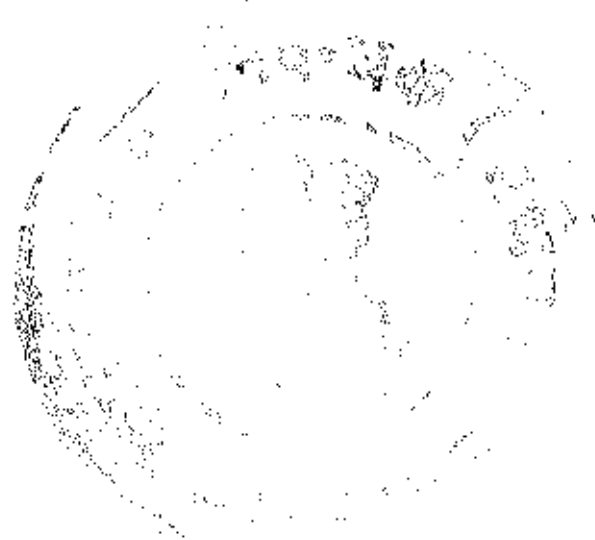
यह कि इस विलेख के माध्यम से पट्टे पर दी जा रही भूमि में से क्षेत्रफल 25.771 हेक्टेयर, ग्राम-देवामऊ व ग्राम-युसुफनगर बगियाभउ व ग्राम-निजामपुर मझिगंवा परगना-बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ जिलाधिकारी सर्किल रेट लिस्ट के अनुसार अर्द्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत है जिसकी कृषि भूमि की दर रु०-35,00,000/- प्रति हेक्टेयर के अनुसार मूल्यांकन रु०-9,01,98,500/- होता है तथा ग्राम-मुजफ्फरनगर घुसवल व ग्राम-हसनपुर खेवली परगना-बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ का क्षेत्रफल 37.155 हेक्टेयर है तथा जिलाधिकारी सर्किल रेट लिस्ट के अनुसार उक्त ग्राम अर्द्धनगरीय क्षेत्र के विशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत है जिसकी कृषि भूमि की दर रु०-56,00,000/- प्रति हेक्टेयर के अनुसार मूल्यांकन रु०-20,80,68,000/- होता है व ग्राम-हरिहरपुर परगना-बिजनौर तहसील

20/05/2024

 जिला अधिकारी

Deputy Commissioner & Infrastructure Cell


 Digitized Signature



व जिला लखनऊ का क्षेत्रफल 5.479 हेक्टेयर है तथा जिलाधिकारी सर्किल रेट लिस्ट के अनुसार अर्द्धनगरीय क्षेत्र के अति विशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत है जिसकी कृषि भूमि की दर रु०-85,00,000/- प्रति हेक्टेयर के अनुसार मूल्यांकन रु०-3,56,13,500/- होता है। इस प्रकार कुल मूल्यांकन रु०-33,38,80,000/- होता है। चूंकि इस विलेख में नजराने की धनराशि रु०-26,02,37,002/- (छब्बीस करोड़ दो लाख सैंतीस हजार दो रुपये) व 1 वर्ष का लीज रेन्ट रु०-5,13,041/- (पांच लाख तेरह हजार इकतालीस रुपये) सहित कुल धनराशि रु०-26,07,50,043/- अदा की गयी है। अतः सर्वोच्च मूल्यांकन रु०-33,38,80,000/- पर नियमानुसार 7 प्रतिशत की दर से रु०-2,33,71,600/- का स्टाम्प शुल्क देय होता है फलस्वरूप रु०-2,33,75,000/- का स्टाम्प शुल्क पट्टेदार द्वारा ई-स्टाम्प सर्टिफिकेट नम्बर IN-UP00109004727519L के द्वारा अदा कर दिया गया है।

इस पट्टा विलेख के साक्ष्य में पट्टादाता की ओर से एवं उनके द्वारा शासनादेश संख्या-1160(1)/8-3-12-122एल0ए0/09 दिनांक 01.06.2012 के माध्यम से अधिकृत श्री अष्टभुजा तिवारी, सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा पट्टेदार की ओर से अधिकृत श्री सुशील कुमार सक्सेना बहैसियत अधिकृत हस्ताक्षरी वास्ते मेसर्स अंसल प्रापर्टीज इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० ने नीचे उन दोनों के हस्ताक्षर करा दिये हैं जो उनके हस्ताक्षर के नीचे दी गयी हैं।

साक्षीगण :

1. ह०

नाम समरेन्द्र प्रताप सिंह

पिता का नाम श्री-चन्द भान प्रताप सिंह

पता 13, राना प्रताप मार्ग, इज्जतगंज
लखनऊ


(ए० सी० तिवारी)
पट्टाकर्ता की ओर से 50
लखनऊ विकास प्राधिकरण
एवं उसके द्वारा अधिकृत 87
02/01

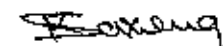
2. ह०

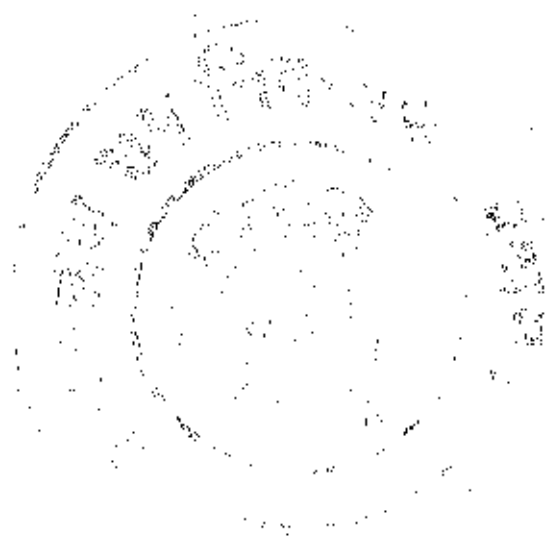
नाम Biswanda Pratap Singh

पिता का नाम Late Sri G. P. Singh

पता 13, Rana Pratap Marg
Lucknow

श्री Ansal Properties & Infrastructure Ltd

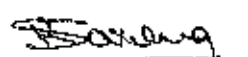

पट्टेदार की ओर से 50
लखनऊ विकास प्राधिकरण
एवं उसके द्वारा अधिकृत 87
02/01

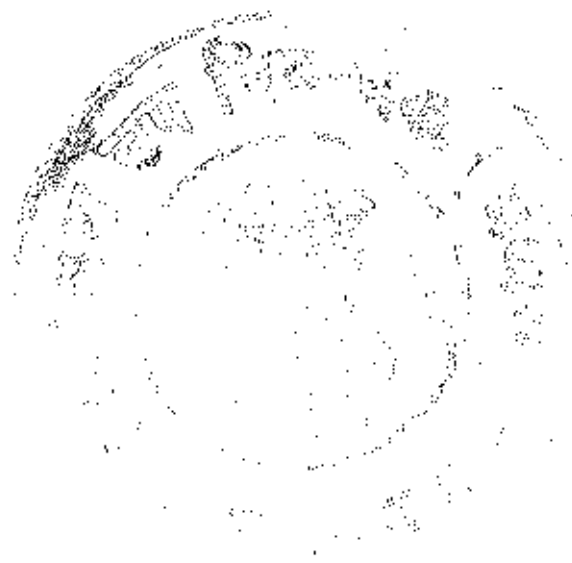





 ग्राम पंचायत क्षेत्र
 ग्राम पंचायत क्षेत्र
 ग्राम पंचायत क्षेत्र

15/1/2018 (1/1/2018) & (1/1/2018)


 ग्राम पंचायत क्षेत्र



सौमित्र चैत्रम् तस्मिन् पुरे नगरेषु

श्रीमद्भागवतसुक्तम्

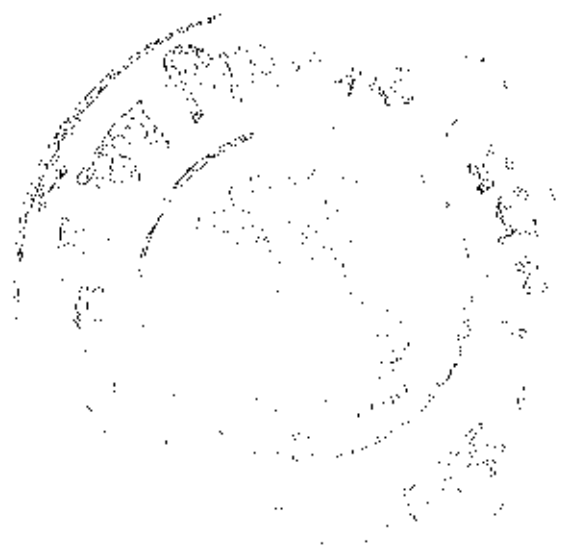
दीर्घायां चोक्तं अथवा चो

[illegible][illegible]

~~CONFIDENTIAL~~ ~~SECRET~~
SECRET

570 Angus Macdonald & Infrastructure Ltd

Authorized Signator





संख्या: एम.ए. ३३३३/३३३३

Table with 2 columns and 4 rows, likely a header or form section.



सिमा गांव का कालांतरावरीन
संख्या: एम.ए. ३३३३/३३३३

(अनुमति प्राप्त दिनांक)

क्र.सं.	संख्या	विवरण	दिनांक
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...

Handwritten signature and official stamp at the bottom right.

26,07,50,043/-

पट्टा विलेख
513,048.00

(30 वर्ष)
40

2,000

प्रतिफल

मालिक

आगत वार्षिक किराया

फीड रजिस्ट्री

नकल व प्रति शुल्क

रोग

शुल्क दर

श्री

ल० वि० प्र० द्वारा नाथन तहसीलदार जितेन्द्र कटियार

पुत्र श्री

आर० एस० कटियार

जगदाम चौकरी

निवासी स्थानी

ल० वि० प्र० लखनऊ

अस्थायी पता

ने यह लेखन इस कार्यालय में

दिनांक

31/7/2013

समय

3:10PM

द्वारे निष्काश हेतु रखा गया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

वी०सी० सिंह

उप निबंधक (प्रथम)

लखनऊ

31/7/2013

निष्पादन लेखपत्र वाद रानदे व निष्पादन पत्रमन व प्राप्त धनराशि रु. प्रलेखासुसार उक्त

पट्टा वारदा

पट्टा गृहीत।

श्री ल० वि० प्र० द्वारा नाथन तहसीलदार जितेन्द्र कटियार

पुत्र श्री आर० एस० कटियार

पेशा नौकरी

निवासी ल० वि० प्र० लखनऊ

श्री मे० अन्सल प्र० ए० इन्फास, लि० द्वारा सुशील कुमार सक्सेना

पुत्र श्री शिव गोपाल सक्सेना

पेशा नौकरी

निवासी 13 राणा प्रताप मार्ग लखनऊ



ने निष्पादन स्वीकार किया।

निष्पादक श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह

पुत्र श्री स्व० गंगाधर सिंह

पेशा नौकरी

निवासी 13 राणा प्रताप मार्ग लखनऊ

व श्री रामेन्द्र प्रताप सिंह

पुत्र श्री चन्द्र भानु प्रताप सिंह

पेशा नौकरी

निवासी 13 राणा प्रताप मार्ग लखनऊ

ने की।

प्रत्यक्ष भद्र आक्षेपों के निम्न अंगुष्ठ निष्पादक लिखे जाते हैं।

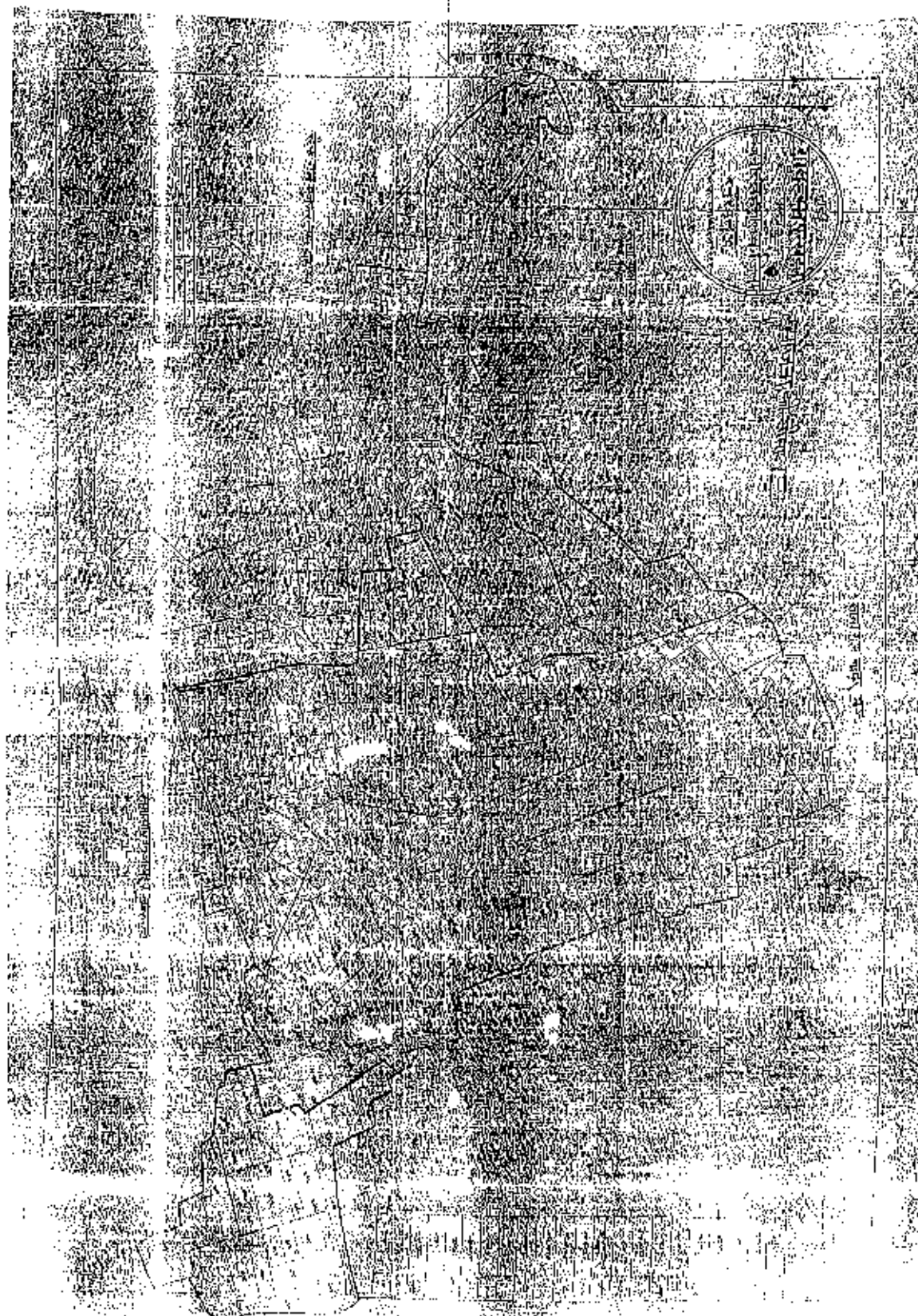
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

वी०सी० सिंह

उप निबंधक (प्रथम)

लखनऊ

31/7/2013



[Handwritten signature]
[Illegible text]
[Illegible text]

Eng. And. Properties & Infrastructure ...
[Handwritten signature]
Authorized Signatory

पट्टा गृहीता

Registration No. : 14746

Year : 2013

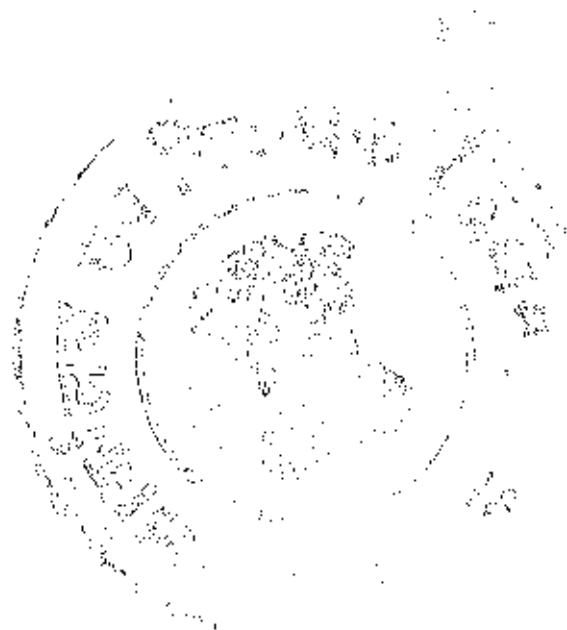
Book No. : 1

0201 मे0अन्सल प्रा0 ए0 इन्फ्राल, लि0 द्वारा सुशील कुमार सक्सेना

शिव लोपःल रावरेण

13 राणा प्रताप मार्ग लखनऊ

नीकरी



[illegible]

مجلس شورای اسلامی
تاریخ: ...
شماره: ...

የገቢ ልማት ስፔሻላይዜሽን & ኢንፍራስትሩክቸር .06

Expend

authorised Signatory

(~~15/05/2020~~ 2020-21)

005242

$\pi_{\Sigma_1}^{\text{reg}} : \hat{\Sigma}_1 \rightarrow \Sigma_1$ is a universal homeomorphism.

पट्टा दाता

Registration No.: 14746

Year: 2013

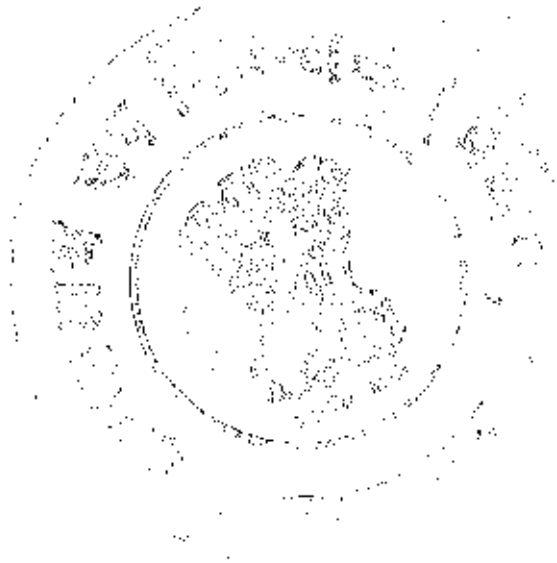
iBook No.: 1

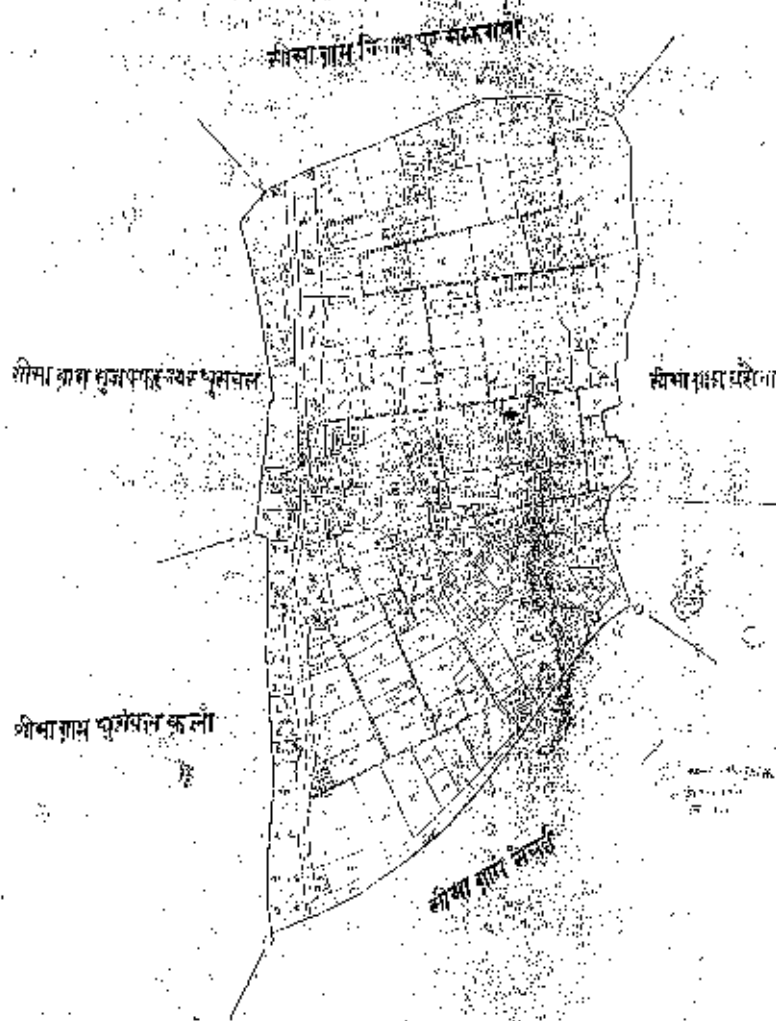
0101 ल० वि० प्रा० द्वारा नायब तहसीलदार जितेन्द्र कटियार

आर० ए० कटियार

ल० वि० प्रा० लखनऊ

नीकरी





क्र.सं.	विवरण	क्षेत्रफल
1	ग्राम पंचायत	...
2	ग्राम पंचायत	...
3	ग्राम पंचायत	...
4	ग्राम पंचायत	...
5	ग्राम पंचायत	...
6	ग्राम पंचायत	...
7	ग्राम पंचायत	...
8	ग्राम पंचायत	...
9	ग्राम पंचायत	...
10	ग्राम पंचायत	...

...

...

...

...

...

...

...

आज दिनांक 31/07/2013 को

पृष्ठ सं. 1 जिल्द सं. 16077

पृष्ठ सं. 67 से 112 पर क्रमांक 14746

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रार अधिकारी के हस्ताक्षर

बी० सी० सिंह

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

31/7/2013

